न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/186

1. चम्पालाल दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण जी जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. देवलाल आत्मज श्री अमरलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती बद्री बाई पुत्री श्री अमरलाल जी पत्नी श्री राधेश्याम जाति धाकड निवासी ग्राम डाबर बम्बोरी गढेपान तहसील दीगोद ।
4. श्रीमती गीताबाई पुत्री श्री अमरलाल पत्नी श्री बाचलन्द जी जाति धाकड निवासी ग्राम डाबर बम्बोरी गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण
2. जानकीलाल पिसरान श्री अमरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. दीपक आत्मज श्री कन्हैया लाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम खोत्या वाया रामगंज बालाजी तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. गिरिराज आत्मज श्री चम्पालाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम ।
5. शिवनारायण आत्मज श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम ।
6. ग्यारसी बाई पत्नी श्री शिवनारायण जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. रामप्रसाद नागर आत्मज श्री रामेश्वर जी जाति धाकड निवासी शॉप नम्बर सी–102 धाकड ब्रदर्स भामाशाह मण्डी कोटा ।
8. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।
3. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 26.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क्रम 1 से 4 के पिता व अप्रार्थी क्रम 5 के नाना स्व0 श्री अमरलाल के खाते की कृषि भूमि नोटाणा में स्थित है जो पैतृक है व चन्द्रेसल में स्वयं की खरीदशुदा भूमि है । ग्राम नोटाणा खसरा नम्बर 646, 665, 672 एवं ग्राम चन्द्रेसल खसरा नम्बर 2139 है । प्रार्थीगण के पिता अमरलाल ने अपने जीवनकाल में अपने भाई हीरालाल की नोटाणा की भूमि का हिस्सा क्रय कर लिया था तथा अमर लाल के भाई केसरी लाल ने स्वयं का हिस्सा अन्य को बेचान कर दिया है तथा उक्त बेचान किया गया हिस्सा खाते से अलग होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है साथ ही उक्त स्व0 अमर लाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्र चम्पालाल को अमरलाल के भाई लक्ष्मीनारायण को गोद दिये जाने से चम्पालाल अपने गोदपिता के हिस्से आई किशनपुरा की भूमि पर स्वामित्व प्राप्त कर चुका है । अमर लाल का देहान्त होने के पश्चात् विरासत के इंतकाल में गलत रूप से चम्पालाल का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि चम्पालाल के गोद जाने के साथ ही जन्म पिता अमरलाल के हिस्से में से अपना अधिकार खत्म कर चुका है तथा उक्त अनुचित अवैध व प्रारम्भतः शून्य इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी को अमरलाल की सम्पत्ति पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है । प्रतिवादी क्रम 1 ने गलत इन्द्राज का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी क्रम 3, 4 से रिलीज डीड स्वयं के व अप्रार्थी क्रम 2 के नाम करवायी है जो कि प्रारम्भतः ही शून्य होने से प्रार्थीगण के प्रति निष्प्रभावी है । अप्रार्थी क्रम 5 की माता ने अपने जीवनकाल में उसके पिता से कोई हिस्सा नहीं लिया है और न ही उनका उक्त भूमि पर कभी कब्जा रहा है । ग्राम चन्द्रेसल की भूमि प्रार्थीगण के पिता द्वारा क्रय की गई है तथा उक्त भूमि में सहखातेदार गिरिराज होने से अप्रार्थी क्रम 6 के रूप में वाद में पक्षकार बनाया गया है । अप्रार्थी क्रम 1 के गोद चले जाने के बाद भी उनके जन्म पिता के हिस्से की भूमि में नाम दर्ज करवा कर प्रारम्भतः ही अनुचित व अवैध इन्द्राज करवाने के पश्चात् ग्राम नोटाण में 16/105 व ग्राम चन्द्रेसल में 3/14 का अंकन करते हुए गलत व अनुचित तरीके से दर्ज सहखातेदार चम्पालाल के नाम हिस्सा रिलीज किया गया है जो अवैध है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष के अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण दौराने वाद प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा उक्त भूमि की स्थिति को यथावत बनाये रखने हेतु उक्त वादग्रस्त आराजी का किसी भी प्रकार से रहन–बेचान नहीं करें और न ही राजस्व रिकॉर्ड में ही कोई परिवर्तन ही करें । उक्त कार्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 से 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.05.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार का अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 10.05.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि पैतृक सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार होता है दावे में तय करने की आलेखित करते हुए आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विद्यमान था कि स्वयं प्रार्थी अपने हिस्से की अधिकांश भूमि हस्तान्तरित कर चुके हैं और अब शेष सहखातेदारान को परेशान करने हेतु केवल मात्र घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत प्रकरण में जो पक्षकार हैं उसी के अनुरूप पूर्व में भी एक वाद संख्या 155/2016 विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने एक सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2019 निरस्त फरमाया जावे।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि पैतृक सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार होता है दावे में तय करने का आलेखित करते हुए निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादी अपने हिस्से से अधिकांश भूमि हस्तान्तरित कर चुके हैं । शेष सहखातेदारों को परेशान करने के लिए यह दावा पेश किया है । बंटवारे की प्रार्थना नहीं की है । दावे में जो पक्षकार हैं उन्हीं के अनुसार पूर्व में एक दावा संख्या 155/2016 विचाराधीन है जिसमें कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है । इस कारण से दूसरा दावा पेश किया गया है यदि रिलीज डीड को नहीं माना जावे तो भी बद्रीबाई एवं गीता बाई जीवित हैं इस बाबत् आपत्ति करने का रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है । सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । सिर्फ अपीलान्ट को पाबन्द करने में त्रुटि की है जबकि समस्त सहखातेदारों को पाबन्द किया जाना चाहिए था । पैतृक सम्पत्ति में अपीलान्ट को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है जो गोद जाने से समाप्त नहीं होगे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चम्पा लाल अपीलान्ट गोद गया है और उसने अपने गोदपिता की सम्पत्ति को प्राप्त किया है । इस कारण उनका अमरलाल की सम्पत्ति में कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । चम्पा लाल ने स्वयं सहमति पत्र आलेखित कर नोटेरी से तस्दीक करवाया है जिसमें उनके द्वारा स्वयं को लक्ष्मीनारायण का दत्तक पुत्र बताते हुए यह कथन किया है कि लक्ष्मीनारायण की आराजी उनके खाते में लग गयी है जिस पर वो काबिज काश्त हैं और उनका किशनपुरा तकिया एवं ग्राम नोटाणा की भूमि में कोई हिस्सा नहीं है । अपीलान्ट गोद को अस्वीकार नहीं करते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को रहन, बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया है जो विधि सम्मत है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2019 बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 5 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को रहन, बेचान नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2019 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण सत्यनारायण एवं जानकी लाल ने हक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसके साथ यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 के अनुसार कुल 04 किता की रकबा 3.36 हैक्टर आराजी वाके ग्राम नोटाणा पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम चन्द्रेसल खसरा नम्बर 2139 रकबा 0.93 हैक्टर पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है और ग्राम किशनपुरा तकिया की कुल 05 किता की 1.02 हैक्टर आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । एक सहमति पत्र की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है । इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य जो विवाद है वो अपीलान्ट चम्पालाल के गोद जाने से सम्बन्धित है । रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का यह कथन है कि चूँकि चम्पा लाल, लक्ष्मीनारायण के गोद गया है इस कारण प्राकृति पिता की सम्पत्ति में उन्हें कोई अधिकार प्रापत नहीं होता है ।

12. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन है कि आराजी पैतृक है जिसमें अपीलान्ट चम्पालाल का जन्म से अधिकार प्राप्त है जो गोद जाने से समाप्त नहीं होता है । अपीलान्ट के गोद जाने से उनके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होगा अथवा नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय होगा इस स्टेज पर नहीं । अपीलान्ट चम्पा लाल, लक्ष्मीनारायण के यहाँ गोद जाना स्वीकार करते हैं परन्तु यह कथन करते हैं कि अमर लाल की सम्पत्ति में चम्पालाल का जन्म से अधिकार प्राप्त है । चम्पा लाल को अमर लाल की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होगें अथवा नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय होगा इस स्टेज पर नहीं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रथमदृष्टण प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के आधार पर अपीलान्ट चम्पा लाल को वादग्रस्त आराजी में निणित अपने हिस्से को अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु जो पाबन्द किया है वह विधि सम्मत प्रतीत होता है ।

13. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक के द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि उभय पक्षकारान को पाबन्द नहीं किया गया है इस क्रम में हमारा मत है कि अपीलान्ट चम्पा लाल ने अमर लाल की सम्पत्ति में उनके अन्य वारिसों ने अधिकार को अस्वीकार नहीं किया है । अमर लाल के अन्य वारिस यदि वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से का विक्रय करते हैं तो उससे अपीलान्ट के अधिकार एवं स्वत्व प्रभावित नहीं होंगे । रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने चम्पालाल के गोद जाने के आधार पर उसके अमर लाल की सम्पत्ति में हिस्से को चैलेंज किया है । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट चम्पालाल को वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी को रहन, बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट का कोई काउन्टर प्रार्थना पत्र भी नहीं है ।

14. जहाँ तक संयुक्त खाते की आराजी का प्रश्न है चूँकि अपीलान्ट चम्पालाल के अधिकार एवं स्वत्व तय होना अभी शेष हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें संयुक्त खाते की आराजी में अपने हिस्से का विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना विधिक प्रावधानों के विपरीत नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2019 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा